भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2077

21 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

सेल की सभी इकाइयों में भविष्य निधि व्यास

2077. श्री संजय सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सभी इकाइयों में कितने भविष्य निधि न्यास (पीएफटी) कार्यरत हैं, प्रत्येक न्यास का नाम तथा उनमें पंजीकृत सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सेल के प्रत्येक पीएफटी द्वारा अपने सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया है, तत्संबंधी न्यास-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेल में एकीकृत पीएफटी की जगह प्रत्येक इकाई का अपना स्वतंत्र पीएफटी होने के क्या कारण हैं तथा इन को एकीकृत कर संचालन खर्च को कम नहीं करने के क्या कारण है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सभी संयंत्रों/इकाइयों में कार्यरत भविष्य निधि न्यासों का ब्यौरा, प्रत्येक भविष्य निधि न्यास का नाम, उसके साथ पंजीकृत सदस्यों की संख्या और विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक भविष्य निधि-न्यास द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में है।

(ग): एक एकीकृत भविष्य निधि न्यास के बजाय सेल की प्रत्येक इकाई का अपना स्वतंत्र भविष्य निधि न्यास होने और उक्त न्यासों को एकीकृत करके प्रचालन लागत को कम नहीं करने का औचित्य निम्नानुसार है:

संयंत्रों/इकाइयों में भविष्य निधि न्यासों का गठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके बनाए गए नियमों/शर्तों के अनुसार किया गया था। अधिनियम की धारा 17 के तहत भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा छूट प्रदान की गई है। यह भविष्य निधि की प्राप्तियों का उचित लेखाकरण, प्रत्येक संयंत्र/इकाई द्वारा भविष्य निधि से समय पर भुगतान, उसके सदस्यों की सेवा/दावा संबंधी निपटारों की सुगमता आदि सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों का वहन करता है।

****

अनुलग्नक-क

क्र.सं.	संस्था का नाम	न्यास का नाम	दिनांक 1 मार्च, 2022 की स्थितिनुसार सदस्यों की सं. (लगभग)	ब्याज दर				
				वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
1	भिलाई इस्पात संयंत्र	न्यासी मंडल, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील परियोजना भविष्य निधि	17,982	8.90%	9.15%	8.72%	8.50%	8.50%
2	सेल -रिफ्रैक्टरी इकाई आईएफआईसीओ	इंडिया फायर ब्रिक्स इन्सुलेशन पीएफ ट्रस्ट	158	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
3	सेल - रिफ्रैक्टरी इकाई	भारत रिफ्रेक्ट्रीज भविष्य निधि	361	8.90%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
4	सेल - सीसीएसओ	सीसीएसओ भविष्य निधि न्यास	65	8.80%	8.65%	8.65%	8.50%	8.70%
5	लोहा और इस्पात के लए अनुसंधान विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस)	हिंदुस्तान स्टील भविष्य निधि न्यास	588	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
6	बोकारो इस्पात संयंत्र	बोकारो स्टील कर्मचारी भविष्य निधि (बीएसईपीएफ)	13,220	8.65%	8.55%	8.65%	8.65%	8.50%
7	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड	वीआईएसपी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	276	8.65%	8.55%	8.65%	8.65%	8.75%
8	राउरकेला इस्पात संयंत्र	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि, राउरकेला	13,396	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
9	बोलानी अयस्क खदान	बोलानी अयस्क खदान भविष्य निधि	513	8.90%	8.65%	8.65%	8.50%	8.75%
10	इस्को इस्पात संयंत्र	इस्को प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन आईआईएससीओ प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन वर्क्स	7,417	9.00%	8.80%	9.00%	8.75%	8.80%
11	सेल-कच्चा माल प्रभाग*	सेल आरएमडी स्थापना और प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि	0	8.65%	8.65%	8.80%	8.50%	8.50%
12	सेल- अलॉय इस्पात संयंत्र	सेल अलॉय इस्पात संयंत्र भविष्य निधि न्यास	2,506	9.00%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
13	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भविष्य निधि न्यास	11,708	9.05%	8.80%	8.65%	8.50%	8.50%
14	सेल - केन्द्रीय विपणन संगठन	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, केंद्रीय क्रय संगठन, विक्रय एवं परिवहन कलकत्ता भविष्य निधि	1,110	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
15	सेल-सेलम इस्पात संयंत्र	एसएसपी पीएफ ट्रस्ट	833	8.65%	8.55%	8.65%	8.50%	8.50%
16	सेल- निगमित कार्यालय, नई दिल्ली	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भविष्य निधि न्यास	492	9.00%	9.00%	8.90%	8.875%	8.875%
17	कोलरीज**	कोयला भविष्य निधि संगठन	974	8.60%	8.50%	8.60%	8.50%	8.50%
	कुल		71,599					

* कच्चा माल प्रभाग को दिनांक 30 जून, 2021 को पुनर्गठित किया गया है और इसके कर्मचारियों को सेल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया गया है।

** कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 द्वारा प्रशासित।